# Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

| S.No. | | |
|---|---|---|
| 18 | Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, सेनानी 16 वीं वाहिनी (भा./र.), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर को नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत नवगठित 16 वीं वाहिनी (भा./र.), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, मुख्यालय की स्थापना हेतु 12.899 हे. राजस्व वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। |

Signature

Date : 6 -09-2019

Place : Raipur

Mandal

Name - R.P.Mandal (R.P. MANDAL)

Addl. Chief Secretary

Designation - Additional Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh

C.G. Govt.,

Forest Department

Forest Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-13/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 /09/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) - 440001 ।

विषय:- **Diversion of Forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 16th B.N. (I.R.) C.A.F. Head Quarter Establishment Area 12.899 ha. Regarding.**

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-741 /1573, दिनांक 29.06.2019 ।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक विभाग का मांग पत्र-<br>आवेदनकर्ता सेनानी 16 वीं वाहिनी, (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम गढ़बेंगाल के प.ह.नं.-11 खसरा नं.-33 रकबा 8.72 हे. भूमि में से 3.530 हे. ग्राम गरांजी के प.ह.नं.-04 खसरा नं. 362 रकबा 12. 84/5.195 हे. में से 5.00 हे. एवं खसरा नं. 363 रकबा 12.77/5. 169 हे. भूमि में से 4.369 हे. कुल 12.899 हे. राजस्व वन भूमि की नवगठित 16 वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल, मुख्यालय हेतु "आउट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु मांग पत्र संलग्न है। मांग पत्र अनुसार वन भूमि की मांग न्यूनतम है। मांग पत्र वनमंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा भी हस्ताक्षरित है। | 1 |

क्रमशः 2



D/FCA/ Latter-N/Lalit

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 2 | प्रपत्र-I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन कमांक)-<br>आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेंसिग शुल्क रू 24,000/- जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर-13 दिनांक 24.09.2018 द्वारा पी. डी. खाता में जमा किया गया है। प्रस्ताव का पंजीयन क्र.- **FP/CG/Other/ 34216/2018** है।<br>इसके अलावा यूजर एजेंसी का भाग-1 एवं वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र वनमंडलाधिकारी नारायणपुर से प्रति हस्ताक्षरित) भी लगाया गया है। | 2 से 9 |
| 3 | वन क्षेत्र विवरण -<br>16 वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल, मुख्यालय हेतु "आउट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु रकबा 12.899 हे. राजस्व वन भूमि का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव पृष्ठ 11 पर कुल प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 12.899 हे. के अंतर्गत प्रशासकीय भवन, आरमरी बिल्डिंग, आवासीय भवन,एन.जी.ओ मेस, जी.ओ. एस. मेस, क्लोदिंग स्टोर, जवान निवास बैरक एवं सुरक्षा टावर मोर्चा के लिये निर्माण कार्य में आने वाले भूमि भी हेक्टेयर में दी गई है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि 12.899 हे. में से 3.800 हे. में ही निर्माण कार्य किया जायेगा। इसके अलावा बंदोबस्त नक्शे तथा पी-2 भी लगाया गया है। | 10-17 |
| 4 | गैर वन क्षेत्र का विवरण -<br>प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र शामिल नहीं है। अत: लागू नहीं है। | 18 |
| 5 | प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर -<br>मानचित्र संलग्न है। | 19-20 |
| 6 | वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप -<br>मानचित्र संलग्न है। | 21-22 |
| 7 | प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव -<br>संलग्न है। यूजर एजेंसी ने कथन किया है कि बढ़ती नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं नक्सली उन्मूलन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिगत राज्य शासन के मंशानुरूप 16 वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये चयनित भूमि ही उपयुक्त है अर्थात सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार इत्यादि मुनयादी सुविधाएं सुलभ हो सकती है। चयनित भूमि के अलावा निकटतम क्षेत्र में वृक्ष विहीन एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है। | 23-24 |
| 8 | प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप -<br>प्रोजेक्ट पर टीप आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है। भारत शासन गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 31.03.2008 के माध्यम से इस वाहिनी का गठन किया गया एवं मुख्यालय जिला नारायणपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है - ऐसा कथन आवेदक द्वारा किया गया है। | 25 |

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 9 | वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र -<br>वचन पत्र संलग्न है। | 26 |
| 10 | न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र -<br>प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है।<br>इसके अलावा कलेक्टर जिला नारायणपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 165/कले./रीडर/भू.आ/2019 दि.18.04.2019 से भी आवेदक के कथन की पुष्टि की है। कलेक्टर नारायणपुर ने लेख किया है कि चूँकि जिला नारायणपुर में 10 हे. से अधिक की राजस्व भूमि एक चक में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण राजस्व वन भूमि का चयन किया गया है। साथ ही उन्होंने इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। | 27 |
| 11 | पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र -<br>प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्कता नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान ने संलग्न किया है। | 28 |
| 12 | वृक्ष विदोहन वितरण (प्रपत्र -"अ" एवं "ब" में) -<br>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 511 वृक्ष खड़े है जिसका विदोहन नहीं किया जाना है। यूजर एजेंसी ने प्रस्ताव पृष्ठ 5 पर बिन्दु 3.4 पर उल्लेख किया है कि प्रस्तावित भूमि पर खड़े वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। | 29-48 |
| 13 | कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस -<br>20 हे. से कम वन क्षेत्र की मांग होने के कारण आवश्यकता नहीं है। | 49 |
| 14 | चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) -राजस्व वन क्षेत्र -<br>गैर वन क्षेत्र का चयन नहीं किया गया है। संपूर्ण आवेदित भूमि राजस्व वन भूमि है। | 50 |
| 15 | गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा -<br>व्यपवर्तन हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन नहीं किया जाना है अतएव आवश्यकता नहीं है। | 51 |
| 16 | स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ -52 से 76) -<br>वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारायणपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी/2359 में 25.798 हे. प्रस्तावित है। वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा जारी भाग-2 कॉलम 10 प्रस्ताव पृष्ठ-90 पर उन्होंने इसे नारंगी वन क्षेत्र बताया है। प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के लिये राशि 81,29,255/- रू. व्यय प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में रोपण दर 7,26,270/- प्रति हे. है जिसके लिये अतिरिक्त राशि यूजर एजेंसी से लिये जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में तत्समय लागू क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर से यूजर एजेंसी से राशि लिया जाना प्रस्तावित है। | 52-76 |

क्रमशः 4

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 17 | वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – <br> वनमंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 77–78 |
| 18 | अधिनियम उल्लंघन अर्तगत कार्यो का विवरण – <br> प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वनमंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 79 |
| 19 | अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – <br> निरंक है। | 80 |
| 20 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही – <br> उल्लंघन न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। | 81 |
| 21 | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – <br> आवश्यकता नहीं है चूंकि दुगुने नारंगी वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। यूजर एजेंसी ने फिर भी गैर वन भूमि अनुपलब्धता का कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2016 संलग्न किया गया है। | 82–83 |
| 22 | कैचमेंट ट्रिटमेंट प्लान – <br> आवश्यकता नहीं है – इस आशय का संयुक्त कथन यूजर एजेंसी तथा वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा किया गया है। | 84 |
| 23 | रिक्लेमेशन प्लान – <br> माईनिंग प्रस्ताव न होने के कारण इस प्रस्ताव के लिए लागू नहीं होता है। | 85 |
| 24 | माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – <br> लागू नहीं है। | 86 |
| 25 | व्यवस्थापन प्लान – <br> आवेदित भूमि पर कोई बसाहट नहीं है, अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है– इस आशय का संयुक्त कथन यूजर एजेंसी तथा वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा किया गया है। | 87 |
| 26 | वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – <br> वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वनमंडलाधिकारी अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25.10.2018 के आधार पर प्रपत्र भाग–2 भरा है। हरियाली का घनत्व 0.6 बताया है। प्रस्तावित राजस्व वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। उन्होंने 12.899 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने प्रपत्र भाग–2 पर उप वन संरक्षक के दिये गये सुझावों से सहमति व्यक्त करते हुए भाग–3 में प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की है। | 88–94 |

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 27 | ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र -<br>आवेदित वन भूमि के अंतर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है। | 95 |
| 28 | संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र -<br>ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल एवं ग्राम पंचायत गरांजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 96-110 |
| 29 | जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) -<br>नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत कुल वन भूमि 114868.640 हे. है। | 111 |
| 30 | व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. -<br>नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 5 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 925.02 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। | 112 |
| 31 | व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे -<br>नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् इसी कटेगरी के कोई भी प्रकरण वन भूमि में प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है - ऐसा यूजर एजेंसी ने लेख किया है। विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 30 पर दी गई है। | 113 |
| 32 | प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राृष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी -<br>वनमंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या ऐतिहासिक महत्व का मंदिर स्थित नहीं है। | 114 |
| 33 | 15 कि.मी. परिधि के नक्शो में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन-आवश्यक नहीं है। | 115 |
| 34 | वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र -<br>कलेक्टर नारायणपुर द्वारा 4.369 हे., 5.00 हे तथा 3.530 हे. के लिये तीन पृथक पृथक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन तीनो क्षेत्रो का योग 12.899 हे. होता है। इसके अलावा बिन्दु क्रमांक 28 के पालन में ग्राम सभा गढ़बेंगाल और ग्राम सभा गरांजी का दो कार्यवाही विवरण प्रस्ताव पृष्ठ 97 से 110 के मध्य लगाया गया है। | 116-119 |

क्रमशः 6

| बिंदु क्रमांक | विवरण | प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 35 | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र -<br>वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है। इसके अलावा कलेक्टर जिला नारायणपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 165/ कले./रीडर/भू.आ./2019 दिनांक 18.04.2019 के माध्यम से भी लेख किया है कि चूँकि जिला नारायणपुर में 10 हे. से अधिक की राजस्व भूमि एक चक में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण राजस्व वन भूमि का चयन किया गया है। साथ ही उन्होंने इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। अत: इसे कलेक्टर की अनापत्ति के रूप में देखा जाना प्रस्तावित है। | 120-126 |
| 36 | माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र -<br>वचन पत्र संलग्न है। | 127 |
| 37 | **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance -**<br>वचन पत्र संलग्न है। | 128 |
| 38 | **"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" &**<br>संलग्न है। | 129 |
| 39 | परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र -<br>वनमंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। | 130 |
| 40 | **Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 -**<br>500 हे. से कम वन क्षेत्र होने के कारण लागू नहीं होता। | 131 |
| 41 | पंजीयन क्र.- पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण -<br>पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क 18000 कुल 24,000 हजार रूपये जमा कराने की पुष्टि में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति लगायी गई है। | 132-133 |
| 42 | वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत -<br>वनमंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है, कि अभिमत की आवश्यकता नहीं है। | 134 |
| 43 | विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण -<br>लागू नहीं । | 135 |
| 44 | प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण -<br>निरंक। इसके अलावा पृष्ठ 137 से 140 पर यूजर एजेंसी का आनलाईन फार्म पार्ट-1 संलग्न है। वनमंडलाधिकारी का आनलाईन फार्म पार्ट-2 वेब पर आनलाईन अपलोडेड है। | 136 |

क्रमश: 7

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के **website** **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर **Diversion** प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- प्रस्ताव 1 प्रतियों में।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-5-13/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/09/2019

प्रतिलिपि:-

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

2.मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता सेनानी 16 वीं वाहिनी, (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

O/C



D/FCA/ Latter-N/Lalit